



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-07092021-229476
CG-MH-E-07092021-229476

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 381]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 7, 2021/भाद्र 16, 1943

No. 381]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 7, 2021/BHADRA 16, 1943

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 7 सितम्बर, 2021

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजारों में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) विनियम, 2007 के तहत अधिसूचना

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/48.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020 के विनियम 23 के उप-विनियम (11) के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजारों में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) विनियम, 2007 के विनियम 3 के अनुसार, एतद्वारा निम्नलिखित अधिसूचना जारी करता है:

- वे सहयुक्त व्यक्ति (असोसिएटेड पर्सन) जो पोर्टफोलियो प्रबंधक द्वारा पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं के वितरक (डिस्ट्रीब्यूटर) के रूप में नियुक्त किए गए हों, "रा.प्र.बा.सं. - शृंखला-XXI-क: पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएँ (पीएमएस) वितरक प्रमाणीकरण परीक्षा" [जिसका उल्लेख राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान द्वारा जारी की गई तारीख 16 फरवरी, 2021 की विज्ञप्ति सं. एनआईएसएम/सर्टिफिकेशन/सीरीज़-XXI-ए: पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज़ (पीएमएस) डिस्ट्रीब्यूटर्स सर्टिफिकेशन एक्ज़ामिनेशन/2021/01 में किया गया है] को उत्तीर्ण किए जाने का राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान का प्रमाणीकरण प्राप्त करेंगे।

2. पोर्टफोलियो प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे सभी सहयुक्त व्यक्ति, जो इस अधिसूचना की तारीख तक की स्थिति के अनुसार पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं के वितरक (डिस्ट्रीब्यूटर) हों, इस अधिसूचना की तारीख से दो वर्षों के भीतर “रा.प्र.बा.सं. – शृंखला-XXI-क: पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएँ (पीएमएस) वितरक प्रमाणीकरण परीक्षा” को उत्तीर्ण किए जाने का प्रमाणीकरण प्राप्त कर लें:

परंतु यह कि जो पोर्टफोलियो प्रबंधक, इस अधिसूचना की तारीख के बाद, ऐसे किसी सहयुक्त व्यक्ति को नियुक्त आदि करता है जो पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं का वितरक हो, वह पोर्टफोलियो प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा व्यक्ति उसे नियुक्त आदि किए जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर “रा.प्र.बा.सं. – शृंखला-XXI-क: पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएँ (पीएमएस) वितरक प्रमाणीकरण परीक्षा” को उत्तीर्ण किए जाने का प्रमाणीकरण प्राप्त कर ले:

परंतु यह और कि यदि ऐसा सहयुक्त व्यक्ति, जो पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं का वितरक हो और जो इस अधिसूचना की तारीख तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कोई रजिस्ट्रीकरण (पंजीकरण) / प्रमाणीकरण प्राप्त कर चुका हो-

क) एएमएफआई की मान्य रजिस्ट्रीकरण (पंजीकरण) संख्या (एआरएन)

ख) रा.प्र.बा.सं. - शृंखला-V-क परीक्षा प्रमाणीकरण,

तो उसे “रा.प्र.बा.सं. – शृंखला-XXI-क: पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएँ (पीएमएस) वितरक प्रमाणीकरण परीक्षा” को उत्तीर्ण किए जाने का प्रमाणीकरण प्राप्त करने की अपेक्षा से तब तक छूट होगी, जब तक उपरोक्त रजिस्ट्रीकरण (पंजीकरण) / प्रमाणीकरण मान्य रहे।

3. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तारीख को लागू होगी।

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./244/2021-22]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 7th September, 2021

Notification under Securities and Exchange Board of India (Certification of Associated Persons in the Securities Markets) Regulations, 2007.

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/48.—In terms of Regulation 3 of the Securities and Exchange Board of India (Certification of Associated Persons in the Securities Markets) Regulations, 2007 read with sub-regulation (11) of regulation 23 of the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020, the Board hereby issues the following notification:

1. The associated persons, engaged by a Portfolio Manager as a distributor of the Portfolio Management Services, shall obtain certification from the National Institute of Securities Markets by passing the NISM-Series-XXI-A: Portfolio Management Services (PMS) Distributors Certification Examination as mentioned in the communiqué No. NISM/Certification/Series-XXI-A: Portfolio Management Services (PMS) Distributors Certification Examination/2021/01 dated February 16, 2021 issued by the National Institute of Securities Markets.
2. The portfolio managers shall ensure that that all such associated persons who are distributors of the Portfolio Management Services as on the date of this notification obtain the certification by passing the

NISM-Series-XXI-A: Portfolio Management Services (PMS) Distributors Certification Examination within two years from the date of this notification:

Provided that a portfolio manager, who engages or employs any such associated person who is a distributor of the Portfolio Management Services, after the date of this notification, shall ensure that such person obtains certification by passing the NISM-Series-XXI-A: Portfolio Management Services (PMS) Distributors Certification Examination within one year from the date of their employment:

Provided further that an associated person, who being a distributor of the Portfolio Management Services, has obtained any of the following registration/ certification as on the date of this notification-

- a) a valid AMFI Registration Number (ARN)
- b) NISM Series-V-A exam certification

shall be exempted from the requirement of obtaining certification by passing the NISM-Series-XXI-A: Portfolio Management Services (PMS) Distributors Certification Examination till the validity of the said registration/ certification.

3. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

AJAY TYAGI, Chairman

[ADV.T.-III/4/Exty./244/2021-22]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-07092021-229479
CG-MH-E-07092021-229479

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 382]
No. 382]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 7, 2021/भाद्र 16, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 7, 2021/BHADRA 16, 1943

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 7 सितम्बर, 2021

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजारों में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण)
विनियम, 2007 के तहत अधिसूचना

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/49.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020 के विनियम 7 के उप-विनियम (2) के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजारों में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) विनियम, 2007 के विनियम 3 के अनुसार, एतद्वारा निम्नलिखित अधिसूचना जारी करता है:

- वे सहयुक्त व्यक्ति (असोसिएटेड पर्सन) जो पोर्टफोलियो प्रबंधक के मुख्य अधिकारी (प्रिंसिपल ऑफिसर) के रूप में या पोर्टफोलियो प्रबंधक के ऐसे कर्मचारी (कर्मचारियों) के रूप में कार्य कर रहे हों जिनके पास निधि प्रबंधन (फंड मैनेजमेंट) से जुड़े निर्णय लेने का प्राधिकार हो, "रा.प्र.बा.सं. - श्रृंखला-XXI-ख: पोर्टफोलियो प्रबंधक प्रमाणीकरण परीक्षा" [जिसका उल्लेख राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान द्वारा जारी की गई तारीख 15 जून, 2021 की विज्ञप्ति सं. एनआईएसएम/सर्टिफिकेशन/सीरीज़-XXI-बी: पोर्टफोलियो मैनेजर्स (पीएम) सर्टिफिकेशन/2021/01 में किया गया है] को उत्तीर्ण किए जाने का राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान का प्रमाणीकरण प्राप्त करेंगे।

2. पोर्टफोलियो प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे सभी सहयुक्त व्यक्ति, जो इस अधिसूचना की तारीख तक की स्थिति के अनुसार मुख्य अधिकारी हों या ऐसे कर्मचारी हों जिनके पास निधि प्रबंधन (फंड मैनेजमेंट) से जुड़े निर्णय लेने का प्राधिकार हो, इस अधिसूचना की तारीख से दो वर्षों के भीतर “रा.प्र.बा.सं. - श्रृंखला-XXI-ख: पोर्टफोलियो प्रबंधक प्रमाणीकरण परीक्षा” को उत्तीर्ण किए जाने का प्रमाणीकरण प्राप्त कर लें:
- परंतु यह कि जो पोर्टफोलियो प्रबंधक, इस अधिसूचना की तारीख के बाद, ऐसे किसी सहयुक्त व्यक्ति को नियुक्त आदि करता है जो मुख्य अधिकारी हो या ऐसा कर्मचारी हो जिसके पास निधि प्रबंधन (फंड मैनेजमेंट) से जुड़े निर्णय लेने का प्राधिकार हो, वह पोर्टफोलियो प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा व्यक्ति उसे नियुक्त आदि किए जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर “रा.प्र.बा.सं. - श्रृंखला-XXI-ख: पोर्टफोलियो प्रबंधक प्रमाणीकरण परीक्षा” को उत्तीर्ण किए जाने का प्रमाणीकरण प्राप्त कर ले।
3. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तारीख को लागू होगी।

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./245/2021-22]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 7th September, 2021

Notification under Securities and Exchange Board of India (Certification of Associated Persons in the Securities Markets) Regulations, 2007.

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/49.—In terms of Regulation 3 of the Securities and Exchange Board of India (Certification of Associated Persons in the Securities Markets) Regulations, 2007 read with sub-regulation (2) of regulation 7 of the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020, the Board hereby issues the following notification:

1. The associated persons functioning as principal officer of a Portfolio Manager or employee(s) of the Portfolio Manager having decision making authority related to fund management, shall obtain certification from the National Institute of Securities Markets by passing the NISM-Series-XXI-B: Portfolio Managers Certification Examination as mentioned in the communiqué No. NISM/Certification/Series-XXI-B: Portfolio Managers (PM) Certification/2021/01 dated June 15, 2021 issued by the National Institute of Securities Markets.
2. The Portfolio Managers shall ensure that all such associated persons who are principal officers or employees having decision making authority related to fund management as on the date of this notification obtain the certification by passing the NISM-Series-XXI-B: Portfolio Managers Certification Examination within two years from the date of this notification:

Provided that a Portfolio Manager, who engages or employs any such associated person who is a principal officer or an employee having decision making authority related to fund management, after the date of this notification, shall ensure that such person obtains certification by passing the NISM-Series-XXI-B: Portfolio Managers Certification Examination within one year from the date of their employment.

3. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./245/2021-22]